(21)

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (68–9 / 265) आकाशि / अनु / 2003 / 5371 दिनांक:- 25/8/09

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2009–10 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:–

क्र.सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय / संकाय
1	68	भास्कर कन्या पी.जी. महाविद्यालय	गाडाखेड़ा, बुहाना जिला झुंझुनूं	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व संचालित संकाय एवं विषय

1. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी.सी.आई. से विश्वविद्यालय सम्बद्धता पर अनुमोदन भी प्राप्त करेगी ।
2. आगामी सत्रों में पार्ट प्रथम / स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध पुनः प्रारम्भ करने हेतु राजस्थान गैर राजकीय शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 5 (i) एवं परिशिष्ट – द्वितीय में उल्लिखित भूमि भवन, स्टाफ व अन्य समस्त शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियमानुसार सुनिश्चित करने के उपरान्त ही नये सिरे से निर्धारित समय पर निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन प्रस्तुत कर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4. संस्था राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा के सभी निर्देशों की पालना करेगी ।
5. संस्था भविष्य में समय पर सभी मापदण्डों की पूर्ति कर एन.ओ.सी. अभिवृद्धि करने हेतु आवेदन करेगी।
6. संस्था प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्रस्तुत करेगी ।
7. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेगी ।

(संदीप वर्मा)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. जिला कलेक्टर, झुंझुनूं।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
8. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
9. संबंधित संस्था / महाविद्यालय पत्रावली ।
10. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त–निदेशक (अनुदान)

प्राचार्य
भास्कर कन्या पी.जी. महाविद्यालय
गाडाखेड़ा, झुंझुनूं (राज.)

Scanned with OKEN Scanner